

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/2013 पुनरीक्षण R-244-2114

करणसिंह पिता श्री हीरालाल, जाति गुर्जर,  
आयु 44 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी,  
निवासी-123, जवाहर मार्ग, नागदा जिला  
उज्जैन (म.प्र.) ---आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

इन्दिरागांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था  
मर्यादित, द्वारा अध्यक्ष बालेश्वरदयाल  
जायसवाल, निवासी-महात्मा गांधी मार्ग, नागदा  
जिला उज्जैन (म.प्र.) ---अनावेदक/रेस्पान्डेंट

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1956

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील नागदा  
जिला उज्जैन (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक  
2/अ-12/2012-2013 में प्रसारित अंतरिम आदेश  
दिनांक 14-11-2013 जिसकी प्रतिलिपि दिनांक  
27-11-2013 को प्राप्त होने से समयावधि में यह  
पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित पुनरीक्षण आवेदन पत्र सादर  
प्रस्तुत हैं :-


01. यह कि, आवेदक की कृषि भूमि ग्राम पाड्लबाकाला तहसील  
नागदा जिला उज्जैन में स्थित होकर उसके स्वामित्व के सर्व क्रमांक 1355/1

निरंतर...2

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-244-एक/14

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत कुमार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	